न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 3196–तीन/2015 निगरानी विरूद्ध – आदेश दिनांक 14–7–2015 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 73/2011–12 अपील

श्रीमती सुल्तान बी पत्नि स्व. इस्माईल खॉ
ग्राम उकावता जिला शाजापुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– कादर खां पिता मीर खॉ
2– अजगर खां पिता मीर खॉ
3– अब्बस खॉ पिता मीर खॉ
सभी ग्राम चतरूखेड़ी जिला राजगढ़
4– अकवर खां पिता इस्माईल खॉ
4– असलम खां पिता इस्माईल खॉ
5– इसाक खॉ पिता इस्माईल खॉ
सभी ग्राम उकावता तहसील बडोदिया
जिला शाजापुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश जैन)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अनोज गुप्ता)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 10–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 73/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 से 3 ने तहसीलदार सारंगपुर के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चतरूखेड़ी की कुल किता 9 कुल रकबा 4-480 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि पर हिवानामा के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार सारंगपुर ने प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/ 2009-10 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 14-9-2010 पारित करके अनावेदक क्रमांक 1 से 3 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ (व्यावरा) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ (व्यावरा) ने प्रकरण क्रमांक 67 अ-6/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-11 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 73/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-15 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदक क-1 से 3 के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति आवेदक अभिभाषक को प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, लेखी बहस के तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आवेदक एंव अकरम खॉ पिता इस्माईल खॉ, ईशाक खॉ पिता इस्माईल खॉ ने संयुक्त रूप से माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सारंगपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 35 ए/2014 दायर करके वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, कब्जा , बासलात प्राप्ति हेतु वाद दायर किया था जो आदेश दिनांक 3-3-17 से निरस्त हुआ है अर्थात तहसीलदार सारंगपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/ 2009-में आदेश दिनांक 14-9-2010 , अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ (व्यावरा) व्दारा प्रकरण क्रमांक

67 अ-6/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-11 तथा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 73/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-15 यथावत् रहे हैं। वैसे भी उक्त तीनों न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है तथा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सारंगपुर का आदेश दिनांक 3-3-17 राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है, जिसके कारण निगरानी सारहीन हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने ने निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 73/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर